UPKJ010029982025

न्यायालय अपर जिला जज, कक्ष संख्या–2, जनपद कन्नौज।

उपस्थितः–हरि प्रसाद (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.CODE–UP6489

सिविल निगरानी संख्या–27/2025

1. **सुधीर पुत्र गिरीशचन्द्र,**
2. **सतीश पुत्र राधेश्याम,**
3. **शिवकुमार पुत्र रामसेवक,**
4. **सुनील पुत्र राजेन्द्र प्रसाद,**
5. **रामेन्द्र कुमार पुत्र छोटेलाल,**
6. **ज्ञान सिंह पुत्र जमादर सिंह,**
7. **देवेन्द्र कुमार पुत्र छोटेलाल,**
8. **कौशल कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह,**
9. **जबर सिंह पुत्र रामकिशन,**
10. **हाकिम सिंह पुत्र दलवीर सिंह,**
11. **रामकिशोर पुत्र परमात्मा दयाल,**

निवासीगण–हसेरन परगना सकतपुर तहसील तिर्वा जनपद कन्नौज।

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. **उत्तर प्रदेश राज्य जरिये जिलाधिकारी कन्नौज।**
2. **जिलेदार प्रथम उमर्दा सिंचाई खण्ड कन्नौज,**
3. **नहर गंगा विभाग जरिये अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड कन्नौज**

.....विपक्षीगण।

निर्णय

1. **संदर्भित दीवानी निगरानी** निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा विपक्षीगण उपरोक्त के विरूद्ध मूलवाद संख्या–215/2017 सुधीर कुमार आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि में **न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) कक्ष संख्या–4 जनपद कन्नौज द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 15.04.2025** से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

2. संदर्भित दीवानी निगरानी के तथ्य संक्षेप में इसप्रकार हैं कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन न करके मनमाने तौर पर पारित किया है। विधिक रूप से प्रश्नगत आदेश पोषणीय नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश मनमाने तौर पर अधूरा, अस्पष्ट एवं

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.05.21 17:54:13 IST
Reason: CIVIL REVISION ALLOW
Location: ADJ COURT NO 2 KANNAUJ

अतिसूक्ष्म है। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश एक तरफा मनमाने तौर पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया है जिससे न्याय की मंशा पूर्ण नहीं हो सकी। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश में निगरानीकर्तागण द्वारा जो प्रार्थनापत्र कागज सं0–63 ए 1 दिया गया था और जिसके माध्यम से विद्वान अवर न्यायालय को इस बात पर ध्यान आकर्षित कराया गया कि पत्रावली के अन्तिम निस्तारण से पूर्व प्रतिवादी सं०–2 व 3 द्वारा जो कि किराये की रसीदें दी गयी हैं, उसमें आराजी गाटा संख्या 560 लिखना टाईपवश गलती से पूर्व अधिवक्ता द्वारा लिखने से छूट गया है। इसी बाबत वादपत्र में मात्र आराजी गाटा संख्या 560 तहरीर कराने की याचना इस प्रार्थनापत्र के माध्यम से निगरानीकर्ता द्वारा की गयी है जिससे पक्षकारों के मध्य स्पष्टरूप से सही तथ्यों के आधार पर न्याय हो सके। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी उसमें भी आराजी गाटा सं० 560 के बाबत अपनी स्वीकारोक्ति की गयी है परन्तु विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते हुए यह अंकित कर दिया गया है कि यदि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया तो वाद की प्रकृति में बदलाव आना संभावित है जो कि सरासर गलत है। इसी वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित एक अन्य वाद न्यायालय तृतीय अपर सिविल जज (जू०डि०) कन्नौज में वाद संख्या 214/2017 शिवपाल बनाम उ०प्र० सरकार प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद में भी इसी प्रकार का वादग्रस्त आराजी में नम्बर जोड़ने का संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो विद्वान अवर न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। संशोधन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में जो विधि व्यवस्थाएं हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर अंकित किया है कि जिस संशोधन से पक्षकारों के मध्य पूर्णरूप से न्याय हो सके, उस संशोधन प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाना अति आवश्यक है। अतः **विद्वान अवर न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) कक्ष संख्या–4 कन्नौज द्वारा मूलवाद संख्या–215/2017 सुधीर कुमार आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि की पत्रावली में पारित आदेश दिनांकित 15.04.2025 अपास्त कर प्रार्थनापत्र 63 ए 1 स्वीकार करने का आदेश पारित करने की कृपा की जाये**।

3. विपक्षीगण/प्रतिवादीगण की तरफ से मौखिक आपत्ति करते हुये कथन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर

उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र 63 ए को निस्तारित किया गया है। अतः उक्त दीवानी निगरानी निरस्त करने की कृपा की जाये।

4. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष **प्रार्थनापत्र संख्या–63 ए 1 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा–151 सी.पी.सी.** इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त मुकदमा वादीगण द्वारा न्यायालय में शाश्वत व्यादेश हेतु खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त वाद में पूर्व अधिवक्ता द्वारा जब यह मुकदमा दाखिल किया गया तो उनके टाइपिस्ट की गलती की वजह से वादग्रस्त आराजी का नम्बर लिखने से छूट गया। जब वादीगण द्वारा अपने नवीन अधिवक्ता को नियुक्त कर पत्रावली का अवलोकन कराया तो इस तथ्य की प्रथम बार जानकारी हुयी कि वादग्रस्त आराजी के बाबत जारी की गयी रसीदों के आधार पर वादग्रस्त आराजी का नम्बर लिखने से छूट गया है। उपरोक्त संशोधन प्रार्थनापत्र के द्वारा न तो वादीगण अपनी पूर्व स्वीकारोक्ति से विमुक्त हो रहे हैं और न ही वाद की प्रकृति परिवर्तित हो रही है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी की मात्र स्थिति व उसका नम्बर ही स्पष्ट तौर पर वादपत्र में अंकित किया जा रहा है। न्यायहित में उपरोक्त संशोधन प्रार्थना पत्र का स्वीकार होना अति आवश्यक है जिससे पक्षकारों के मध्य पूर्णरूप से अंतिम तौर पर सही न्याय हो सकेगा। अतः वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाये।

विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनापत्र 63 ए के विरुद्ध आपत्ति कागज संख्या–72 सी प्रस्तुत की गयी जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र खिलाफ वाक्यात विधि विरुद्ध होने के कारण पोषणीय नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के माध्यम से एक नवीन आराजी जोड़ने हेतु प्रस्तुत किया है जोकि एक नये वाद का सृजन करेगा। वादीगण द्वारा उक्त वाद में अस्थाई व्यादेश प्राप्त किया गया है जोकि वाद के मूलस्वरूप/तहरीर पर प्रदान किया गया था। यदि नवीन गाटा संख्या 560 वाद में संशोधन कर प्रतिस्थापित की जाती है तो उक्त अस्थाई व्यादेश का प्रभाव नवीन प्रतिस्थापित गाटा संख्या पर भी पड़ेगा जो कानूनन विधि विरूद्ध है। गाटा सख्या 560 रकवा 7.39 हे0 श्रेणी 15 जलमग्न भूमि है जोकि डोडा नहर गंगा के नाम दर्ज राजस्व

अभिलेख है। वह नहर गंगा हेतु सुरक्षित भूमि है। उपरोक्त वाद प्रार्थनापत्र 6सी2 निरस्तारण हेतु कई तिथियों से नियत चला आता है। उपरोक्त वाद वर्ष 2017 से न्यायालय में लम्बित है। वादीगण द्वारा अपने संशोधन प्रार्थनापत्र में मूलवाद में उक्त गाटा संख्या 560 लिखने से छूट जाने की बात कहीं गयी है जिसका यह आधार लिया गया है कि वादपत्र में टाइपिस्ट की गलती के द्वारा गाटा संख्या लिखने से छूट गया है जबकि वादपत्र को पढ़कर व वादीगणों को पढ़कर सुनाने के उपरान्त ही शपथपत्र पर हस्ताक्षर करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। अतःउपरोक्त कारणों के आधार पर प्रार्थनापत्र 63 ए 1 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी०पी०सी० सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

6. निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष सूची 9सी से कागज संख्या–10सी/1 लगायत 10सी1/30 किराया अदायगी रसीदें एवं कागज संख्या–11सी1/1 लगायत 11सी1/3 बेदखली की नोटिसों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है।

7. विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा दिनांक 16.05.2017 को वादपत्र प्रस्तुत करते हुये यह याचना की गयी कि जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को आदेशित किया जावे कि वे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण को विवादित संपत्ति से बेदखल न करें और न ही वादीगण की मौजूद तामीरात को ध्वस्त करें। वादपत्र में यह भी कहा गया है कि विवादित जायदाद को वादीगण ने वर्ष 1996 में एक रूपया प्रतिवर्ग मीटर की दर से प्रतिवादी संख्या–2 व 3 से अलग–अलग किराये पर हासिल किया था। वादीगण ने अपने द्वारा ली गयी किराये की आराजी पर अस्थाई निर्माण कर निवास किया। तदोपरान्त प्रतिवादी संख्या–2 व 3 द्वारा 6 रूपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से किराया लिया जाता रहा। विगत 3–4 साल से प्रतिवादी संख्या–2 व 3 ने वादीगण से किराया लेना बंद कर दिया। वादीगण ने कई बार किराया देने के लिये प्रतिवादी संख्या–2 व 3 से संपर्क किया किन्तु वे टाल मटोल करते रहे। दिनांक 08.05.2017 को प्रतिवादी संख्या–2 ने नोटिस देकर यह कहा कि अंदर पंद्रह दिन निर्माण हटा लें अन्यथा जबरन निर्माण ध्वस्त कर दिया जायेगा। जबकि वादीगण, प्रतिवादीगण के विधिक किरायेदार है।

8. निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा प्रश्नगत संशोधन प्रार्थनापत्र 63 ए के माध्यम से वादग्रस्त आराजी का नम्बर 560 लिखने की अनुमति चाही गयी है जिसके बाबत

विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष सूची 9सी से कागज संख्या–10सी/1 लगायत 10सी1/30 किराया अदायगी रसीदें एवं कागज संख्या–11सी1/1 लगायत 11सी1/3 बेदखली की नोटिसों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है। उक्त दस्तावेजों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि समय समय पर गाटा संख्या–560 में वादीगणों को किराये पर भूमि दी गयी जिसका किराया प्रतिवादी संख्या–2 व 3 द्वारा प्राप्त किया जाता रहा। उक्त रसीदों में विवादित जायदाद का नम्बर गाटा संख्या–560 उल्लिखित किया गया है। निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा संशोधन प्रार्थनापत्र के माध्यम से विवादित आराजी का नम्बर 560 लिखने की याचना की गयी है। यदि उक्त संशोधन प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर लिया जाता है तो किसी नये तथ्य की उत्पत्ति नहीं होती है और न ही वादीगण द्वारा पूर्व में किये गये स्वीकारोक्ति को वापस लिया गया है। इस सम्बन्ध में **चन्द्रकान्त बंसल बनाम राजेन्द्र सिंह आनन्द 2009(106) RD 763 सु.को.** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि संशोधन प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में नम्रतापूर्वक विचार किया जायेगा।

सीमा बनाम द्वितीय अपर जिला जज बलरामपुर 2008(72)ALR 595 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अवधारित किया गया है कि न्यायालय को शक्ति प्राप्त है कि सभी संशोधनों को स्वीकार करे जो विवादित प्रश्नों को हल करने के लिये आवश्यक प्रतीत होता है तथा न्यायालय को उदार रूख अपनाना चाहिये। उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में विद्वान अवर न्यायालय का यह दायित्व था कि वह निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर मामले का निस्तारण करना चाहिये था। पत्रावली अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु नियत की जा रही है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर विचार किये बिना प्रश्नगत प्रार्थनापत्र को निरस्त किया गया है जो कि विधिक त्रुटि है। इसप्रकार निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा संदर्भित सिविल निगरानी में उठाये गये तर्क में पर्याप्त बल होने के कारण उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत सिविल निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत संदर्भित **सिविल निगरानी संख्या–27/2025 सुधीर आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि स्वीकार** की जाती है।

तदनुसार विद्वान अवर न्यायालय अपर सिविल जज (जू.डि.) कक्ष संख्या–4 जनपद कन्नौज द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 15.04.2025 **निरस्त** किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि निर्णय में उल्लिखित बिन्दुओं व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर गहनतापूर्वक विचार करने के उपरान्त उभय पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये सर्वप्रथम **प्रार्थनापत्र 63 ए अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा–151 सी.पी.सी. का यथाशीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करे।**

उभय पक्ष **दिनांक 05.07.2026** को विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवें।

दिनांक–20.05.2026

(हरि प्रसाद)
अपर जिला जज,
कक्ष संख्या–2 जनपद–कन्नौज।
(J.O.Code No–UP6489)

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनाँकित एवं उदघोषित किया गया।

दिनांक–20.05.2026

(हरि प्रसाद)
अपर जिला जज,
कक्ष संख्या–2 जनपद–कन्नौज।
(J.O.Code No–UP6489)